


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या215 व 216/2017.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स ईरोज मिनरल्स प्रा लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त 'षष्ठम' जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.03.2017	<p align="center">एकलपीठ राजीव चौधरी-सदस्य</p> <p>अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि नेहा सेठी द्वारा उक्त अपीलों को विद्वद्धा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज दिनांक 17.03.2017 को प्राप्त हुआ, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी New Amnesty Scheme, 2017 की अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना चाहता है। अपीलार्थी यह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त अपील जरिये विद्वद्धा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी. ओझा ने प्रस्तुत अपील को विद्वद्धा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर हस्तगत अपील विद्वद्धा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 215 व 216/2017 /जयपुर जरिये विद्वद्धावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश/निर्णय सुनाया गया।</p> <p align="right">  सदस्य 17/03/17 राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	